261

प्रेषक,

संख्याः-7484 /III(2)/15-03(बजट)/2015

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांकः 15 अक्टूबर, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संः-22 एवं 31 हेतु विभिन्न योजनाओं हेतु राज्य आकास्मिकता निधि से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संः-3673/01 बजट-II(प्रथम अनुपूरक प्रस्ताव)/2015-16 दिनांक 12-10-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य आकस्मिकता निधि के माध्यम से ₹ 175.00 करोड़ की धनराशि निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश संः- 6931/III(2)/15-05(बजट)/2013टी0सी0-1 दिनांक 24-09-2015 के प्रस्तर-(i) पर उल्लिखित शर्त को इस आधार पर संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है कि खण्डवार/योजनावार स्वीकृत कार्यो के सापेक्ष कार्यवार सी0सी0एल0 आवंटन के कारण विभागीय खण्डो के सम्मुख लघु एवं छोटे कार्यो तथा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत कार्यो के लिये धनावंटन किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है।

2- अतः आपके द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संः-6931/III(2)/15-05(बजट)/2013टी0सी0-1 दिनांक 24-09-2015 के प्रस्तर-(i) में उल्लिखित शर्त को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की माननीय श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र0 सं0	शासनादेश दिनांक 24-09-2015 के प्रस्तर-(i) में उल्लिखित शर्त का विवरण	शासनादेश दिनांक 24-09-2015 के प्रस्तर-(i) में उल्लिखित शर्त को निम्नानुसार पढ़ा जायेगा।
01	" स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सी0सी0एल0 आवंटन, खण्डवार/योजनावार स्वीकृत कार्यो की कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुये कार्य की प्रगति तथा कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर, दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त का आवंटन सुनिश्चित किया जायेगा। "	"स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सी0सी0एल0 आवंटन, खण्डवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर, दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त के रूप में खण्डों को एकमुश्त आवंटन सुनिश्चित किया जायेगा। "

3- सन्दर्भित शासनादेश में उक्तानुसार किये जा रहे संशोधन को खण्डवार द्वितीय किश्त की सी0सी0एल0 आवंटन किये जाने की तिथि से लागू समझा जायेगा।

4- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 24-09-2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा, शासनादेश में उल्लिखित अवशेष शर्ते यथावत् रहेंगी।